न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 05/2025 **दायर तारीख 24.01.2025**

अनवान

1. इन्द्रा पुत्री मेघा जाति बंजारा उम्र वयस्क वर्ष निवासी गोर्धनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।
2. अनिता पुत्री मेघा जाति बंजारा उम्र वयस्क वर्ष निवासी गोर्धनपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– श्री अनिल कुमार – अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/07/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा की सरहद में स्थित खाता संख्या 372 पर अंकित आराजी संख्या 1146/359 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 132 पर अंकित आराजी संख्या 900/366 रकबा 0.8903 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

प्रार्थीया संख्या 1 का नाम आराजी संख्या 1146/366 में इन्द्रा पुत्र मेघा हिस्सा 1/32 जाति बंजारा सा. गोर्वधनपुरा खातेदार अंकन किया हुआ हैं। जो कि सेवन से प्रार्थीया का नाम इन्द्रा पुत्र अंकित हो गया है जो कि गलत हैं। जबकि प्रार्थीया इन्द्रा पुत्री मेघा हैं। प्रार्थीया संख्या 2 का नाम आराजी संख्या 1146/366 एवं आराजी संख्या 900/366 में कैलाशी पुत्री मेघा हिस्सा 1/32 जाति बंजारा सा. गोर्वधनपुरा खातेदार अंकन किया हुआ हैं। जो कि सेवन से प्रार्थीया का नाम कैलाशी अंकित हो गया है जो कि गलत हैं। जबकि प्रार्थीया का सही नाम अनिता पुत्री मेघा हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा स्थित खाता संख्या 372 पर अंकित आराजी संख्या 1146/359 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 132 पर अंकित आराजी संख्या 900/366 रकबा 0.8903 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम इन्द्रा पुत्री मेघा एवं प्रार्थीया संख्या 2 के नाम में कैलाशी की जगह अनिता किये जाने का आदेश दिलाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना भेज करवायी गई।

प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट ली गयी।

तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/राजस्व/2025/913 दिनांक 03.06.2025 की रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम बांका के खाता संख्या 372 आराजी संख्या 1146/359 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खाता संख्या 132 आराजी संख्या 900/366 रकबा 0.8903 हैक्टेयर भूमि इन्द्रा पुत्री मेघा, कैलाशी पुत्री मेघा के सामलाती खाते में दर्ज है। प्रार्थीयागणों के पिता मेघा की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीयाओं के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित हुये है। इन्द्रा, मनभरी व कैलाशी तीन पुत्रियों के व इनकी माता शान्तिबाई का नाम दर्ज हुआ है। इसमें विरासत से जो नाम कैलाशी दर्ज हुआ हैं उपस्थित मौतविरान व प्रार्थीया ने बताया कि उसका नाम कैलाशी नहीं होकर अनिता पुत्री मेघा हैं जो बोलता नाम होने से अनिता का स्थान पर कैलाशी दर्ज हो गया है। साथ ही यह भी बताया कि इन्द्रा, मेघा के कोई पुत्र नही होकर पुत्री है। जो राजस्व रेकॉर्ड में सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से इन्द्रा पुत्री मेघा के स्थान पर इन्द्रा पुत्र मेघा दर्ज हो गया है। उक्त वाद से प्रार्थीया अपने राजस्व रेकॉर्ड में शुद्धिकरण कराना चाहती हैं। अर्थात उपरोक्त खातो में इन्द्रा पुत्र मेघा के स्थान पर इन्द्रा पुत्री मेघा व कैलाशी पुत्री मेघा के स्थान पर अनिता पुत्री मेघा शुद्ध कराना चाहती है उपस्थित मौतविरान से जानकारी अनुसार यह शुद्धि सही हैं। रिपोर्ट, मौका पर्चा, जमाबन्दी नकल की प्रतियां संलग्न की हैं।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा की नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 खसरा सं. 1146/359, जमाबन्दी संवत 2076–2079 खसरा सं. 900/366, जमाबन्दी संवत 2064–2067 खसरा सं. 900/366, जमाबन्दी संवत 2064–2067 खसरा सं. 1146/359, शपथ पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेड़ा के प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, राशनकार्ड की प्रति संलग्न की हैं।

न्यायालय उप खण्ड आधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजात के आधार पर **प्रार्थीया संख्या 1 का नाम इन्द्रा पुत्री मेघा** एवं **प्रार्थीया संख्या 2 के नाम में कैलाशी की जगह अनिता** राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराना चाहा हैं।

अतः तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट, मौजा ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा की नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 खसरा सं. 1146/359, जमाबन्दी संवत 2076–2079 खसरा सं. 900/366, जमाबन्दी संवत 2064–2067 खसरा सं. 900/366, जमाबन्दी संवत 2064–2067 खसरा सं. 1146/359, शपथ पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेड़ा के प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, राशनकार्ड की प्रति के आधार पर **प्रार्थीया संख्या 1 का नाम इन्द्रा पुत्री मेघा** एवं **प्रार्थीया संख्या 2 के नाम में कैलाशी की जगह अनिता** राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा स्थित खाता संख्या 372 पर अंकित आराजी संख्या 1146/359 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम **इन्द्रा पुत्री मेघा** एवं खाता संख्या 132 पर अंकित आराजी संख्या 900/366 रकबा 0.8903 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया संख्या 2 का नाम कैलाशी की जगह **अनिता** राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 22/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते